भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2364
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण 1947 (शक) को दिया जाना है)

"ईडी द्वारा जांच"

2364. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने (ईसीआईआर दाखिल करने के बाद) जांच शुरू की है जहां संबंधित अपराध किसी गैर-सरकारी बल्कि, जिसके पास जांच करने का कोई अधिकार नहीं था, द्वारा दायर की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दस वर्षों के दौरान कितने मामलों की जांच की गई?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) हाँ, ऐसे उदाहरण हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय कानून के लागू सिद्धांतों का पालन करते हुए जाँच शुरू करता है। आमतौर पर, सीआरपीसी/बीएनएसएस के तहत, कोई भी आपराधिक मामला दो प्रमुख कार्रवाइयों के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है:

i. एफआईआर दर्ज करके।

ii. किसी सक्षम न्यायालय में आपराधिक शिकायत दर्ज करके।

इस प्रकार, पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के लिए अनुसूचित अपराध के अस्तित्व पर उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है।

(ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 52 मामले या तो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा व्यक्तियों की शिकायत पर जांच/कार्यवाही शुरू करने के आधार पर या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पुलिस/सीबीआई को ऐसी शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के आधार पर शुरू किए गए थे।